मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

हिन्दी प्रकोष्ठ

सं. मानू/हिन्दी प्रकोष्ठ/2026/1632 दिनांक: 09 जनवरी, 2026

परिपत्र

यह परिपत्र राजभाषा प्रभाग , शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या 13035/1/2025-रा.भा.ए. दिनांक 19.12.2025 के संदर्भ में जारी किया गया है।

संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति के निरीक्षण (20 नवम्बर, 2025) के दौरान यह टिप्पणी की गई कि शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ संस्थानों/विद्यालयों के साथ पत्राचार प्रायः अंग्रेजी में किया जा रहा है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार , **'ग' क्षेत्र** के कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों का पालन किया जाना आवश्यक है :

- 70% मूल पत्राचार हिंदी में
- 35% नोटिंग हिंदी में

तदनुसार, सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / अनुभाग अध्यक्षों / प्रभारी तथा हिन्दी प्राज्ञ / पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि, राजभाषा हिन्दी में मूल पत्राचार एवं टिप्पण सुनिश्चित करने पर ध्यान दें।

कुलसचिव

कुलसचिव / Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu Univer
गच्चीबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032

सेवा में
मुख्यालय / ऑफ कैम्पस के सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / प्रधानाचार्यों / प्रभारी कुलानुशासक, संकायाध्यक्ष - छात्र कल्याण, प्रोवोस्ट(पुरुष एवं महिला)

प्रतिलिपि :
1. *कुलपति / कुलसचिव / वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक / पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यालय*
2. *सभी हिन्दी प्राज्ञ / पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी*
3. *निदेशक, सीआईटी (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)*
4. *संबंधित फाइल*

सं. एफ. 13035/1/2025-रा.भा.ए.

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय- संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने के संबंध में।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2025 को भुवनेश्वर/पुरी और इसके आस-पास स्थित शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थानों/विद्यालयों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण के दौरान संयोजक महोदय ने मंत्रालय द्वारा अपने अधीनस्थ संस्थानों/विद्यालयों आदि के साथ केवल अंग्रेजी में पत्राचार किए जाने का उल्लेख किया था।

2. उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 में मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र स्थित कार्यालयों के साथ मूल पत्राचार (ई-मेल सहित) का लक्ष्य क्रमशः 100%, 100% और 70% ('क' एवं 'ख' क्षेत्र स्थित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति के लिए 100%) तथा हिंदी में टिप्पण के लिए लक्ष्य 80% निर्धारित है।

3. उपर्युक्त के आलोक में, शिक्षा मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुख से अनुरोध है कि वे अपने अधीन प्रभाग/अनुभाग को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी में मूल पत्राचार एवं टिप्पण करने का निदेश दें।

(सैय्यद इकराम रिज़वी)

संयुक्त सचिव(राजभाषा एवं प्रशासन)

सेवा में,

संयुक्त सचिव(टीईएल)/संयुक्त सचिव(आईसीसी एवं रूसा)/संयुक्त सचिव(प्रबंधन एवं छात्रवृत्ति)/ संयुक्त सचिव(उच्चतर शिक्षा)/आर्थिक सलाहकार(उच्चतर शिक्षा)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/ संयुक्त सचिव(टीई)/संयुक्त सचिव(यूजीसी)/उप महानिदेशक(उच्चतर शिक्षा)/सलाहकार(कॉस्ट)/अपर सचिव/अपर सचिव(पीएमपीवाई)/संयुक्त सचिव(एई एवं एस एस-1)/संयुक्त सचिव(आई एवं टी)/ आर्थिक सलाहकार(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता)/उप महानिदेशक (सांख्यिकी)

AO (CU) DS(CU-Com) US(CU-Com) 24/12/2025 SO(CU-Com) 24/12/202